DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)
Room No.38, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. F/PC/AQC-108/D- 122 **dated:** 03**.8.2018**

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Un-Starred question no. 108 dated 07/08/2018.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Un-Starred question no. 108 raised by Sh. Girish Soni , MLA, duly approved by the Competent Authority.

Deputy. Director(PC)
Phone No. 23378559

Copy to:-

Director(DPI) along with **150 copies.**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अता. 108
दिनांक 07/08/2017
प्रश्न कर्ता का नाम-गिरीश सोनी

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है की दिल्ली में बसी झुग्गी झोपडी वालो को पुनर्स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है;	दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में बसी झुग्गी झोपडी वासियों को पुनर्स्थापित करने हेतु दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 आदेश संख्या F.No.730(7/UD/BSUP/2916/ CDNo.021366111/3014-22 दिनांक 11.12.2017 द्वारा जारी कर दिया गया है तथा इस नीति के अनुसार झुग्गी झोपडी वालो को पुनर्स्थापित किया जा रहा है
ख	यदि हाँ, हो इसका पूर्ण विवरण क्या है, और	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली मे सरकारी जमीन पर स्थित दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 के तहत झुग्गियों/ जे.जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिये एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों/भूस्वामी संस्थाओ को सरकारी योजनाओ हेतु, जहाँ जे.जे.बस्ती बसी है उस जगह की जरूरत है तो, उस भूस्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग सम्बंधित भूस्वामी संस्था के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसार पुनर्वास राशि प्राप्त होने के पश्चात ही उस जे जे बस्ती के पुनर्वास का कार्य करती है । दिल्ली स्लम एवं जे.जे. पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति-2015 अनुसार, योग्य झुग्गीवासियों को, उन झुग्गी बस्तियों से जो कि दिनांक 01.01.2006 से पहले स्थापित हुई हैं, पुनर्वासित करने का कार्य करता है। इन बस्तियों में जो झुग्गियां 01.01.2015 से पहले निर्मित हो गई थी, उनको बिना वैकल्पिक स्थान दिए नही हटाया जा सकता है। झुग्गीवासियों की वैकल्पिक आवास आबंटन हेतु पात्रता उपरोक्त नीति अनुसार तय की जाती है । उक्त नीति की प्रति सलंग्न है । माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के आदेश, जोकि उपसचिव (शहरी विकास विभाग) F.No. 692(7)/UD/BSUP/2015/VOL-1/245057 दिनांक 20/09/2017 द्वारा जारी किये गये है, के अनुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार व उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभाग / एजेंसियो की जमीन पर बनी झुग्गी झोपड़ी बस्तीयो के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण व अन्य केन्द्रिय विभागों / एजेंसियो की जमीन पर बनी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

८	इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अब तक कितने लोगो को पुनर्स्थापित क्या गया है; इसका पूर्ण विवरण दें ?	दिल्ली स्लम जे.जे. पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति-2015 दिल्ली सरकार द्वारा आदेश संख्या F.No.730(7/UD/BSUP/2916/ CDNo.021366111/3014-22 दिनांक 11.12.2017 नीति अनुसार अबतक 1427 झुग्गीवासियों को वैकल्पिक फ्लैट आबंटित किये गये है

उपनिदेशक, संसद कक्ष

उपसचिव प्रश्न शाखा (दिल्ली विधान सभा)